

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/4073 Jabalpur, dated 13.10.2016.

The copy of the notification of the Government of M.P. F.No.17(E)83/03/XXI-B(1)3684/016, Bhopal, dated 07.10.2016 issued in exercise of the powers conferred by Section 153(1) of the Electricity Act, 2003 is forwarded to;

1. The Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Alirajpur for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer also,
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

Vivek Saxena
13.10.2016
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायन कार्य विभाग

// अधिसूचना //

भारत, दिनांक अक्टूबर, 2016

फा.क्रमांक 17(ई)83-03-21-ब(एक)/3684-016, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का सख्यांक 36) की धारा 153 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को योग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, ए.द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83-03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितंबर, 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

(संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
"1.	अलीराजपुर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र."

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/3684-016, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th September, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

सदरदेशी शासन, विहि और विधायी कार्य विभाग

सदर

(आर) को शी

आदिपत्र की प्रति पर अपनव करने बावत शिवा

शाखा प्रशि, आरु शाखा, विहि और विधायी कार्य विभाग, शीपाल की और

आगामी एक से प्रकाशनाथ शिवा

उप लिखक शासन केदीय अदालत, शीपाल की और आरु राजपत्र आरु-एक के

आवश्यक काववाही हेतु शिवा

प्रमुख सदर, आरु शासन उरी विभाग, आनंद शीपाल की और संचालक एवं

दिनांक 08.2016 के अधी में शिवा

रजिस्ट्र जनरल, म. प्र. उच्च न्यायालय, जलपुर, म. प्र. क्रमांक (3069/11-6-4-03-1X

प्रतिनिधि :-

का.क. 17(ई)83/03-21-ब(एक)/368/016 शीपाल, दिनांक सितम्बर, 2016

सदरदेशी शासन, विहि और विधायी कार्य विभाग

सदर

(आर) को शी

सदरदेशी के राजपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

S.No.	Name of Civil District	Name of Special Court (According to Electricity Area)	Session Judge, Mirzapur
1.	Mirzapur	Electricity Area of Mirzapur	